रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2225] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2015/आश्विन 21, 1937
No. 2225] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015/ASVINA 21, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2802(अ).– केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया रारा–53) के 88.000 कि.मी. से 141.028 कि.मी. तक के भूखण्ड (आरंग–सरायपाली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार /छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया रारा–53) के 88.000 कि.मी. से 141.028 कि.मी. तक बाइपासों के निमार्ण सहित (आरंग–सरायपाली सेक्षन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक / तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महासमुन्द	सरायपाली	(1)घाटकछार	451/9	निजी	कृषि योग्य भूमि	240
			(2)बैतारी	118	निजी	कृषि योग्य भूमि	672
			(3) कुटेला	104/3	निजी	कृषि योग्य भूमि घनहा	1000
			(4)सरायपाली	293	निजी	कृषि योग्य भूमि	1070
				294/1	निजी	कृषि योग्य भूमि	1332
				255/2	निजी	कृषि योग्य भूमि	30
				255/4	निजी	कृषि योग्य भूमि	20
				289/1	निजी	कृषि योग्य भूमि	410
2	महासमुन्द	बसना	(1)बोहारपार,	610	शासकीय	घास भूमि	6887
				611	शासकीय	घास भूमि	16967
				607	शासकीय	घास भूमि	8
				609	शासकीय	घास भूमि	978
			(2)बसना	258/7	निजी	कृषि योग्य भूमि	72
				258/14	निजी	कृषि योग्य भूमि	122
			(3)अरेकेल	733/6	निजी	कृषि योग्य भूमि	1325
				734	निजी	कृषि योग्य भूमि	89
				754	निजी	कृषि योग्य भूमि	754

[फा. सं. भाराराप्रा / भू.अ. / 11013 / 01 / नोटिफ–सी.जी. / रायपुर / एफ.टी.एस.–1069]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2015

S. O. 2802 (E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening/Four /six laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.-06 (New NH-53), on the stretch of land from km 88.000 to km 141.028 (Aurang-Saraipali Section) in District Mahasamund in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acqure such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the concern competent authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Saraipali, District "Mahasamumd", Chhattisgarh, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 88.000 to Km 141.028 (Aurang - Saraipali Section) of the National Highway no. 06 (New NH-53) including construction of bypassess in the State of Chhattisgarh.

Serial Number	Name of the District	Name of The Taluk / Tehsil	Name of the Village	Khasra Number	Type of land	Nature of Land	Area (in square meters)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasamund	1. Saraipali	(1) Ghatkachhar	451/9	Private	Land under Cultivation	240
			(2) Baitari	118	Private	Land under Cultivation	672
			(3) Kutela	104/3	Private	Land under Cultivation	1000
			(4) Saraipali	293	Private	Land under Cultivation	1070
				294/1	Private	Land under Cultivation	1332
				255/2	Private	Land under Cultivation	30
				255/4	Private	Land under Cultivation	20
				289/1	Private	Land under Cultivation	410

		Basna	(1) Boharpar	610	Govt.	Grass Land	6887
				611	Govt.	Grass Land	16967
				607	Govt.	Grass Land	8
				609	Govt.	Grass Land	978
			(2) Basna	258/7	Private	Land under Cultivation	72
				258/14	Private	Land under Cultivation	122
			(3) Arekel	733/6	Private	Land under Cultivation	1325
				734	Private	Land under Cultivation	89
				754	Private	Land under Cultivation	754

[F. No. NHAI/LA/11013/01/Notif.-C.G./Raipur/FTS-1069]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.